आदेश पत्र की कार्रवाई के बारे में तारीख

न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-70/2022

राज्य

बनाम्

मो0 अफरोज

—: आदेश :—

28/03/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1521/अप0शा0 दिनांक 30.07.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-117/2022 दिनांक-30.05.2022 से संबंधित है। कांड में जप्त ट्रक रजि0 संख्या-JH05AJ-8192 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी स0अ0नि0 मोख्तार अंसारी, बालूमाथ थाना प्रतिनियुक्त अमरवाडीह पुलिस पिकेट के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-117/2022 दिनांक-30.05.2022 दर्ज किया गया। स0अ0नि0 मोख्तार अंसारी सशस्त्र बल के साथ दिनांक 30.05.2022 को करीब 03:30 बजे ग्राम-मननडीह के भेड़ा टोंगरी के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक बारह चक्का ट्रक में 15-20 व्यक्तियों द्वारा कोयला लोड किया जा रहा है। ट्रक की ओर बढ़ने पर सभी व्यक्ति अंधेरा एवं झाड़ी का लाभ उठाकर भाग गये। तत्पश्चात् जांच करने पर ट्रक रजि0 नं0-JH05AJ-8192 चेसीस नं0-MAT466404B2E12507 में करीब 10 टन अवैध कोयला लोड पाया गया। ट्रक के केबिन में कोयला से संबंधित कागजात का खोजबीन किया गया परन्तु कोयला से संबंधित कोई कागजात नहीं मिला। उक्त ट्रक को अमरवाडीह पुलिस पिकेट परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। अवैध रूप से कोयल चोरी कर व्यापार/परिवहन करना एक संज्ञेय अपराध है। यह काण्ड पर्यवेक्षण से धारा-379/414/201 भा0द0वि0 21(4)(4A)(5) खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, 30(ii) कोयला खान अधिनियम, 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम-2017 के अन्तर्गत ट्रक रजि0 नं0-JH05AJ-8192 चेसीस नं0-MAT466404B2E12507 के मालिक-सह-चालक मो0 अफरोज पे0-मो मिनहाज, ग्राम-सेरेगाड़ा, थाना-बालूमाथ,

जिला–लातेहार एवं अज्ञात के विरूद्ध सत्य पाया गया। उक्त काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH05AJ-8192 को राजसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार–बार नोटिस निर्गत कर निबंधित डाक से उनके पते पर भेजा गया तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH05AJ-8192 के वाहन मालिक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH05AJ-8192 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन किया गया है। अतः ट्रक रजि0 नं0–JH05AJ-8192 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/03/23 | 28/03/23
उपायुक्त, | उपायुक्त,
लातेहार। | लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 14:16:36 +05:30
Location: 10.93.47.5